




राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नीर भवन, सिविल लाईंस, रायपुर, छत्तीसगढ़



क्रमांक...16.S.... / मि.सं. / रा.स्व.भा.मि.(ग्रा.) / 2019,

रायपुर, दिनांक 29/05/19

प्रति,

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला - रायपुर।

विषय:- छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के प्रश्नों के जवाब के संबंध में

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1275 / 155 / 22-1 / 2019, अटल नगर, दिनांक 17.05.2019।

कृपया विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। सामान्य प्रशासन के पत्र क्रमांक 2941 / 4272 / 2018 / 1 / 5 अटल नगर, रायपुर दिनांक, 12.11.2018 के माध्यम से प्राप्त कलेक्टर जिला बस्तर जगदलपुर के संलग्न पत्र की कंडिका 06 में रमन सरकार 15 साल में कितने ग्राम पंचायत को निर्मल बनाया? कितने ग्राम पंचायत पर पूर्ण शौचालय बनाया? कितने शौच हो रहे हैं? कितने नहीं? कितने शौचालय ग्राम पंचायत में नहीं बने हैं? एक शौचालय बनने के लिए सामग्री गुणवत्ता प्रस्तुत करें। लागत बताएं। के संबंध में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की जानकारी पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

नरेन्द्र 29/5/2019
मिशन संचालक

राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

- स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम नाम से की गई। इसके उपरांत 1999 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया गया। 01 अप्रैल 2012 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान का नाम बदलकर निर्मल भारत अभियान किया गया। **02 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लागू किया गया।**
- बेसलाईन सर्वे 2012-13 अनुसार **26.76 लाख** परिवार शौचालय विहीन थे, छूटे हुए एवं बड़े हुए **6.47 लाख** परिवार को जोड़ा गया। इस प्रकार **कुल 33.23 लाख परिवार शौचालय विहीन थे। 5.96 लाख** अनुपयोगी शौचालय पाये गये थे। **24 नवम्बर 2014** को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांतरित हुआ।
- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत बेसलाईन सर्वेक्षण 2012-13 में शौचालय विहीन पात्र परिवारों को 12000/- की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान है। शौचालय प्रोत्साहन राशि हेतु सभी बी.पी.एल. परिवार तथा ऐसे ए.पी.एल. परिवार जो एस.सी., एस.टी., लघु सीमांत कृषक, भूमिहीन मजदूर, महिला मुखिया परिवार, विकलांग मुखिया परिवार पात्र है। व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है।
- नक्सल प्रभावित **246** ग्राम पंचायत (**931** ग्रामों) को छोड़कर सभी **10,725** ग्राम पंचायत ओ.डी.एफ. हो चुके हैं। 246 ग्राम पंचायतों में 52257 शौचालय बनाना शेष है। **26.76 लाख** के विरुद्ध **33.23 लाख** शौचालयों का निर्माण किया गया, जिसके विरुद्ध **3648.49** करोड़ की राशि का भुगतान किया जा चुका है। सभी **5.96 लाख** अनुपयोगी शौचालयों को उपयोगी बनाया जा चुका है, जिसका पूर्ण भुगतान हो चुका है।
- छ.ग. राज्य में **स्वच्छता के उत्कृष्ट** क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में **36.34 करोड़** एवं 2018-19 में **45.19 करोड़** की **परफार्मेंस बोनस** भी अतिरिक्त प्रदान किया है।
- ओ.डी.एफ. प्लस के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं सामुदायिक शौचालय का कार्य आगामी वर्षों में किया जायेगा।

शौचालय उपयोग की निरंतरता बनाये रखने हेतु प्रयास -

- स्व-सहायता समूह को स्वच्छाग्रही के रूप चयन। स्वच्छाग्रही स्व-सहायता समूह के माध्यम से शौचालय के उपयोग एवं स्थायित्व का प्रचार-प्रसार। 5000 ग्राम पंचायत के स्व-सहायता समूह प्रशिक्षित।
- ओ.डी.एफ. ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य।
- ओ.डी.एफ. विकासखण्डों में 2 नग चलित बायो शौचालय का प्रदाय।
- स्वच्छता इवेंट कलेण्डर के अनुसार स्वच्छता गतिविधियाँ।
- स्वच्छता मतदान का आयोजन।
- विकास खण्ड स्तरीय स्थायित्व अध्ययन एवं कार्यशाला।

अन्य आई.ई.सी. (प्रचार-प्रसार) गतिविधियाँ -

- घर-घर संपर्क, समूह बैठक/ग्राम बैठक, समुदाय संचालित संपूर्ण स्वच्छता, रात्रि चौपाल, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं के द्वारा संदेश प्रसारण, रेडियो विज्ञापन, टी.वी. विज्ञापन, होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, प्रदर्शनी, जागरूकता रथ, कला जत्था, नारा लेखन, दीवार लेखन, रैली, सम्मेलन।

• भौतिक प्रगति -

विवरण	02 अक्टूबर 2014 की स्थिति	फरवरी 2019 की स्थिति
जो.डी.एफ. ग्राम	20	18800
ओ.डी.एफ. ग्राम पंचायत	00	10725
अनुपयोगी शौचालय	599343	00
शौचालय युक्त परिवार	15.06 लाख	33.23 लाख